



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1538]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2010/श्रावण 5, 1932

No. 1538]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2010/SHRAVANA 5, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2010

सं. 62/2010-आय-कर

का.आ. 1843(अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) एवं (2) में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 732(अ) दिनांक 3 जुलाई, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची 1 में, क्रमांक 111 एवं 112 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रमांक एवं प्रविष्टियाँ क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	आय-कर प्राधिकारियों का मदानाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग	मामले अथवा मामलों के वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"111.	आयकर आयुक्त, नाशिक-1	नाशिक	महाराष्ट्र राज्य में, - मालेगांव, सातना, महाराष्ट्र	(क) कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय माला ए, बी, सी, डी, ई,	(क) सभी कम्पनी मामले जिनके नाम वर्ण

		<p>येवला तालुक के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न जिला नाशिक</p> <p>(ख) नाशिक जिले की तालुके: (i) मलेगांव (ii) सातना, (iii) नंदगांव, (iv) चांदवाड़ तथा (v) येवला</p>	<p>कारोबार का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है;</p> <p>(ख) कालम (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति जो वेतन से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाले कम्पनियों से भिन्न हैं तथा जिनके कारोबार अथवा निवास का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ग) कालम (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति जिनका कार्यालय कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(घ) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति</p> <p>(ड.) कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कारोबार का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में है;</p>	<p>एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई अथवा जेड से शुरू होते हैं;</p> <p>(ख) सभी सहकारी समितियां, न्यास ए ओ पी, बी ओ आई, स्थानीय प्राधिकरण तथा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति;</p> <p>(ग) उपर्युक्त कालम (6) की मद (क) तथा मद (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न सभी व्यक्ति जिनके उप नाम वर्णमाला ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, डब्ल्यू, एक्स, वाई अथवा जेड से व्यष्टियों के मामले में शुरू होते हैं तथा अन्य व्यक्तियों के</p>
--	--	--	--	--

				<p>(च) कालम (6) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न है तथा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(छ) कालम (6) की मद (ड.) में संदर्भित व्यक्ति जिनके पास कारोबार से भिन्न स्रोतों से आय है तथा जो कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं अथवा कार्य कर रहे हैं;</p>	<p>मामले में जिनके नियोक्ता का नाम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, डब्ल्यू, एक्स, वाई अथवा जेड से शुरू होते हैं;</p> <p>(घ) वेतन शीर्ष के अन्तर्गत आय वाले उपर्युक्त कालम (6) की मद (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न सभी व्यक्ति जिनके नियोक्ता के नाम एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई अथवा जेड से शुरू होते हैं;</p> <p>(ङ) कालम (5) की मद (ड.) से (छ) तक में तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के</p>
--	--	--	--	---	--

					सभी मामले;	
					(च) कालम (5) की मद (ज) से (अ) तक मदों में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;	
	(ग) धुले एवं नंदुरबार जिले			(ज) कालम (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (झ) कालम (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यक्ति जो वेतन से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाले कम्पनियों से भिन्न हैं तथा जिनके कारोबार अथवा निवास का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (अ) कालम (6) की मद (च) में संदर्भित व्यक्ति जिनके पास कारोबार से भिन्न स्रोतों से आय है तथा जो कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं अथवा कार्य कर रहे हैं;		
112.	आयकर आयुक्त, नाशिक-॥	नाशिक महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में, मालेगांव, सातना, नंदगांव, चांदवाड़ तथा	(क) कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय	(क) सभी कम्पनी नाम जिनके मामले वर्णमाला एन, ओ, पी,	

			<p>येवला तालुक के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न जिला नाशिक</p>	<p>कारोबार का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है;</p> <p>(ख) कालम (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति जो वेतन से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाले कम्पनियों से भिन्न हैं तथा जिनके कारोबार अथवा निवास का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ग) कालम (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति</p>	<p>क्यू आर अथवा एस से शुरू होते हैं ;</p> <p>(ख) कालम (6) की मद (क) तथा मद (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न सभी व्यक्ति जिनके उप नाम वर्णमाला एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू अथवा वी से व्यष्टियों के मामले में शुरू होते हैं तथा अन्य व्यक्तियों के मामले में जिनके नियोक्ता का नाम एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू अथवा वी से शुरू होते हैं;</p> <p>(ग) वेतन शीर्ष के अन्तर्गत आय वाले उपर्युक्त कालम (6) की मद (क) तथा मद (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों</p>
--	--	--	---	---	---

					से भिन्न सभी व्यक्ति जिनके नियोक्ता के नाम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के अथवा एल से शुरू होते हैं.
			(ख) जिला जलगांव	<p>(घ) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कारोबार का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में है.</p> <p>(ड.) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो वेतन से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाले कम्पनियों से भिन्न हैं तथा जिनके कारोबार अथवा निवास का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है.</p> <p>(च) कालम (6) की मद (घ) में संदर्भित व्यक्ति जिनके पास कारोबार से भिन्न स्रोतों से आय है</p>	(घ) कालम (5) की मद (घ) से (च) तक में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले" ।

				तथा जो कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निव्वस कर रहे हैं अथवा कार्य कर रहे हैं;	
--	--	--	--	---	--

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 2010 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 187/11/2009-आ.क.नि.-1]
रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि.-1)

टिप्पणी :— प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 732 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 2001 के तहत प्रकाशित की गई तथा अंतिम बार संख्या का.आ. 1240 (अ), दिनांक 26 मई, 2010 के तहत संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2010

No. 62/2010-Income-Tax

S.O. 1843(E).— In exercise of the powers conferred in sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes number S.O. 732(E) dated 3rd July, 2001, namely:-

In the said notification, in the Schedule-I, for serial numbers 111 and 112 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted.

Sl. No.	Designation of Income tax authorities	Head Quarters	Territorial Area	Persons or classes of persons	Cases or classes of cases
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
111.	Commissioner of Income Tax, Nashik-I	Nashik Maharashtra	In the State of Maharashtra,- a) District of Nashik other than the areas falling within the	(a) Persons referred to in item (a) of column 6, being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in	(a) All company cases whose names begin with the alphabets A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y or Z;

8938GT/10-2

			<p>Talukas of Malegaon, Satana, Nandgaon, Chandwad and Yeola</p>	<p>the area mentioned in item (a) of column 4;</p> <p>(b) persons referred to in item (c) of column 6, being other than companies deriving income from sources other than salary and whose principal place of business or residence is within the territorial area mentioned in item (a) of column 4;</p> <p>(c) persons referred to in item (b) of column 6 having its office within the area mentioned in item (a) of column 4;</p> <p>(d) persons referred to in item (d) of column 6;</p>	<p>(b) All Co-operative societies, Trusts, AOP, BOI, Local Authorities and Artificial Juridical person.</p> <p>(c) All persons other than those mentioned in items (a) and (b) of column 6 above, whose surname begins with alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, W, X, Y or Z in the case of individuals, and in case of other persons whose name begins with the alphabets A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, W, X, Y or Z;</p> <p>(d) All persons other than mentioned at items (a), (b) and (c) of column 6 above having income under the head salary and whose employer's name begins with the alphabet M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, or Z;</p>
--	--	--	--	---	---

		<p>(b) Talukas of Nashik District: i) Malegaon, ii) Satana, iii) Nandgaon, iv) Chandwad and v) Yeola</p>	<p>(e) Persons referred to in item (e) of column 6, being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column 4;</p> <p>(f) persons referred to in item (e) of column 6, being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in item (b) of column 4;</p> <p>(g) persons referred to in item (e) of column 6, having income from sources other than business and who are residing or functioning within the territorial area mentioned in item (b) of column 4;</p>	<p>(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e) to (g) of column 5;</p>
		<p>(c) Districts of Dhule and Nandurbar</p>	<p>(h) persons referred to in item (f) of column 6, being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column 4;</p> <p>(i) persons referred to in</p>	<p>(f) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (h) to (j) of column 5.</p>

2938/6/110-3

				<p>item (f) of column 6, being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in item (c) of column 4;</p> <p>(j) persons referred to in item (f) of column 6, having income from sources other than business and who are residing or functioning within the territorial area mentioned in item (c) of column 4.</p>	
112.	Commissioner of Income Tax, Nashik-II	Nashik Maharashtra	In the State of Maharashtra,- a) District of Nashik other than the areas falling within the Talukas of Malegaon, Satana, Nandgaon, Chandwad and Yeola.	<p>(a) Persons referred to in item (a) of column 6, being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column 4;</p> <p>(b) persons referred to in item (b) of column 6, being other than companies deriving income from sources other than salary and whose principal place of business or residence is within the territorial area mentioned in item (a) of column 4;</p>	<p>(a) All company cases whose names begin with the alphabets N, O, P, Q, R or S;</p> <p>(b) All persons, other than those mentioned in items (a) and (b) of column 6, whose surname begins with alphabet N, O, P, Q, R, S, T, U or V, in the case of individuals, and in case of other persons whose name begins with the alphabet N, O, P, Q, R, S, T, U or V;</p>

				<p>(c) persons referred to in item (c) column 6 ;</p>	<p>(c) All persons other than mentioned in items (a) and (b) of column 6 above having income under the head salary and whose employer's name beings with the alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, or L.</p>
			<p>(b) District of Jalgaon.</p>	<p>(d) Persons referred to in item (d) of column 6, being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column 4;</p> <p>(e) persons referred to in item (d) of column 6, being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in item (b) of column 4;</p> <p>(f) persons referred to in item (d) of column 6 having income from sources other than business and who are residing or functioning within the territorial areas</p>	<p>(d) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (d) to (f) of column 5."</p>

				mentioned in item (b) of column 4.	
--	--	--	--	------------------------------------	--

This notification shall come into force with effect from 1st August, 2010.

[F.No. 187/11/2009-ITA.-I]
RAMAN CHOPRA, Director (ITA.-I)

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide*, number S.O.732(E), dated the 31st July, 2001 and lastly amended, *vide*, number S.O. 1240(E), dated 26th May, 2010.